रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 482] नई दिल्ली, मंगलवार, जुलाई 17, 2018/आषाढ़ 26, 1940
No. 482] NEW DELHI, TUESDAY, JULY 17, 2018/ASHADHA 26, 1940

वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय

(औद्योगिक नीति एवं संवर्धन विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 16 जुलाई, 2018

सा.का.नि. 652(अ).— कैल्शियम कार्बाइड नियम, 1987 का संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियमों का प्रारूप जिसे केन्द्रीय सरकार, ज्वलनशील पदार्थ अधिनियम, 1952 (1952 का 20) की धारा 4 और पेट्रोलियम अधिनियम, 1934 (1934 का 30) की धारा 29 की उप-धारा (2) और (3) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए बनाने का प्रस्ताव करती है, पेट्रोलियम अधिनियम, 1934 (1934 का 30) की धारा 29 की उप-धारा (2) की अपेक्षानुसार उन व्यक्तियों की सूचना के लिए प्रकाशित किया जाता है, जिनके उससे प्रभावित होने की संभावना है और एतद्वारा सूचना दी जाती है कि उक्त प्रारूप पर उस तारीख से पैंतालिस दिन की अवधि की समाप्ति पर या उसके पश्चात् विचार किया जाएगा, जिसको उक्त प्रारूप नियमों को अंतर्विष्ट करने वाले भारत के राजपत्र की प्रतियां जनता को उपलब्ध करा दी जाती हैं;

इन प्रारूप नियमों पर आपत्ति या सुझाव, यदि कोई हों, को अपर सचिव, औद्योगिक नीति और संवर्धन विभाग, वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय, कमरा नं. 259, उद्योग भवन, नई दिल्ली- 110011 ईमेल: singh.shailen@nic.in को पूर्वोक्त विनिर्दिष्ट अवधि के भीतर भेजे जा सकेंगे।

केंद्र सरकार द्वारा पूर्वोक्त विनिर्दिष्ट अवधि के भीतर किसी व्यक्ति से उक्त प्रारूप नियमों के बारे में प्राप्त आपत्तियों और सुझावों पर विचार किया जाएगा।

प्रारूप नियम

1. (1) इन नियमों को कैल्शियम कार्बाइड (संशोधन) नियम, 2018 कहा जाएगा।

(2) ये सरकारी राजपत्र में अंतिम रूप से प्रकाशन की तारीख से प्रभावी होगा।

2. कैल्शियम कार्बाइड नियम, 1987 के नियम 10 में, "विशाखापत्तनम" शब्द के पश्चात् "जवाहरलाल नेहरू पत्तन" शब्द जोड़े जाएंगे।

[फा.सं. 17(35)/2014-विस्फो.]
शैलेन्द्र सिंह, अपर सचिव

नोट : भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 105(अ) दिनांक 18 फरवरी, 1987 के द्वारा मूल नियम प्रकाशित किए गए थे और बाद में इसमें अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 109 (अ) दिनांक 28 फरवरी, 1990 और अंतिम बार अधिसूचना संख्या सा. का. नि. 647 (अ) दिनांक 20 अगस्त, 2015 द्वारा संशोधन किया गया था।

MINISTRY OF COMMERCE AND INDUSTRY
(Department of Industrial Policy and Promation)
NOTIFICATION
New Delhi, the 16th July, 2018

G.S.R. 652(E).— The following draft of certain rules further to amend the Calcium Carbide Rules, 1987 which the Central Government proposes to make in exercise of the powers conferred by section 4 of the Inflammable Substances Act, 1952 (20 of 1952) read with section 4 and sub-sections 2 and 3 of section 29 of the Petroleum Act, 1934 (30 of 1934) is hereby published as required by sub-section 2 of section 29 of the Petroleum Act, 1934 (30 of 1934) for information of all persons likely to be affected thereby and notice is hereby given that the said draft shall be taken into consideration on or after the expiry of period of forty-five days from the date on which the copies of Gazette of India containing the draft rules are made available to the public;

Objections or suggestions, if any, to these draft rules may be sent to the Additional Secretary, Department of Industrial Policy and Promotion, Ministry of Commerce and Industry, Room No. 259, Udyog Bhawan, New Delhi-110011, email : singh.shailen@nic.in, within the period specified above;

The objections or suggestions which may be received from any person with respect of the said draft rules within the period above so specified shall be taken into consideration by the Central Government.

Draft Rules

1. (1) These rules may be called the Calcium Carbide (Amendment) Rules, 2018.
   (2)They shall come into force on the date of their final publication in the Official Gazette.

2. In the Calcium Carbide Rules, 1987, in rule 10, the words "Jawaharlal Nehru Port" shall be inserted after the word "Visakhapatnam".

[F No. 17(35)/2014-Expl]
SHAILENDRA SINGH, Addl. Secy.

Note: The principal rules were published in the Gazette of India, vide notification number G.S.R. 105(E) dated the 18th February, 1987 and subsequently amended vide notification number G.S.R. 109(E) dated the 28th February, 1990 and last amended vide notification number G.S.R. 647(E) dated 20th August, 2015.

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.

ALOK KUMAR
Digitally signed by ALOK KUMAR
Date: 2018.07.19 10:31:02 +05'30'